

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई


क्रं./एफ-206/1/सा.प्र.वि./विविध/2023/875

भिलाई, दिनांक 1/9/23

आदेश

छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक/430/558/वित्त/नि/चार/2023 दिनांक 02.08.2023 के अनुसार राज्य शासन के अधिकारी/कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता की दरें आदेश जारी होने के दिनांक से स्वीकृत की गई है।


तदनुसार गृह भाड़ा भत्ता की नई दरें वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 16.04.1987 एवं ज्ञापन दिनांक 15.06.1987 में उल्लेखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन नगर पालिक निगम, भिलाई के अधिकारी/कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत होने पर 09 प्रतिशत की दर से गृह भाड़ा भत्ता तथा महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत होने पर 10 प्रतिशत की दर से गृह भाड़ा भत्ता भुगतान किये जाने हेतु दिनांक 02.08.2023 से स्वीकृत किया जाता है।


रोहित व्यास
(आई.ए.एस.)
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई
भिलाई, दिनांक 1/9/23

पृ.क्रं./एफ-206/1/सा.प्र.वि./विविध/2023/876

प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उप संचालक, छ.ग. राज्य संपरीक्षा, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. प्रभारी सहायक अधीक्षक भविष्य निधि शाखा, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रभारी स्थापना लिपिक नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को निगम की वेबसाइट में अपलोड हेतु।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई